न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 02/2021

उनवान

भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती जाति जाट नि. हनुतपुरा उर्फ रूडी, प0ह0 खोरालाड़खानी तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) वादी

बनाम

1. हीरालाल
2. मोहन
3. रामकरण
4. रामस्वरूप
5. श्रवणलाल

पि0 मंगला पुत्र गोपाल

6. केसरी देवी पत्नि मंगला
7. मुरली पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट नि. हनुतपुरा उर्फ रूडी, प0ह0 खोरालाड़खानी तह.शाहपुरा, जयपुर।

8. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. उप पंजीयक शाहपुरा/उपतहसील मनोहरपुर तह शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः

दावा संक्षेप में यह है कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 2711 रकबा 0.61 है. वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी प0ह0 खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा में स्थित है। आराजीयात पर वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का 1/3 भाग वादी का, 1/3 भाग पर प्रतिवादी सं. 6 एवं 1/3 भाग पर प्रतिवादी सं. 7 काबिज काश्त है। दिनांक 21.02.1995 से पूर्व हिस्सा 1/3 भाग के प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का पिता व प्रतिवादी सं. 6 का पति खातेदार काबिज काश्त था जिसने अपना हिस्सा 1/3 भाग अपनी स्वयं की पत्नि प्रतिवादी सं. 6 केसरी पत्नि मंगला को उक्त दिनांक 21.02.1995 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर अपने स्थान पर काबिज करा दिया तथा विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में तत्समय खाता सं. 175 में अमल दरामद जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 में होकर अंकन "नामान्तरण सं. 312 के द्वारा खसरा नं. 2711 रकबा 0.61 है0 में मंगला के बजाय केसरी पत्नि मंगला जाट नि. हनुतपुरा हिस्सा 1/3 बाकी बदस्तूर स्वीकृत हुआ" दर्ज रिकार्ड हुआ है। खसरा नं. 2711/0.61 है0 ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तह. शाहपुरा के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के खाता सं. 175 में विक्रय से आये परिवर्तन के इन्द्राज का सम्वत 2050 से 2053 के बाद सम्वत 2054 से 2057 की जमाबन्दी का लेखन करते समय राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों ने नई जमाबन्दी में अंकन करने में नये खाता सं. 25 खसरा नं. 2711/0.61 है0 में केसरी पत्नि मंगला जाट हिस्सा 1/3 का नाम सही रूप में दर्ज कर दिया परन्तु जमाबंदी सम्वत 2050 से 2053 में विक्रेता मंगला के नाम के बजाय केसरी प्रतिवादी सं. 6 का नाम दर्ज कर दिया था इस पृथक किये गये नाम मंगला का गलत रूप में फिर से नाम इन्द्राज कर दिया तथा भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती का नाम जमाबन्दी से नाजायज व गलत रूप में पृथक कर दिया। विक्रेता मंगला का नाम दिनांक 21.02.1995 के विक्रय पत्र से उक्त वर्णित खसरा नम्बर 2711 की खातेदारी से हट गया था उसी मंगला का नाम जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 में बिना किसी कारण/आधार के गलत रूप में दर्ज कर दिया गया जो आज दिन तक गलत रूप में दर्ज चला आ रहा है तथा वादी का नाम बिना किसी कारण खसरा नं. 2711/0.61 है0 जमाबन्दी सं. 25 सम्वत 2054 से 2057 ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी से वादी भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती का नाम गलत व नाजायज रूप में पृथक कर दिया जो लगातार आज दिन तक गलत व नाजायज रूप से पृथक चला आ रहा है। प्रतिवादी सं. 6 का पति व विक्रेता मंगला का देहान्त हो गया है, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 मृतक मंगला के वारिसान है। दिनांक 10.12.2020 को जब वादी भूमि खसरा नं. 2711/0.61 है0 पर फसल की सिंचाई कर रहा था उस समय प्रतिवादी सं. 1 ने आकर ऐलानियां धमकी दी कि इस खेत की खातेदारी से तुम्हारा नाम हट गया है तथा हमारे पिता मंगला का नाम दर्ज हो गया है इस कारण तुम्हे अब इसमें काश्त नहीं करने देगें। इस पर वह झगड़ा करने पर आमादा हुआ तो मैनें बडी मुश्किल से समझाइश कर उसे झगड़ा करने से रोका परन्तु थोडी देर बाद सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के पास आकर एलानियां धमकी देने लगे कि इस भूमि ख.नं. 2711 की जमीन के रिकार्ड में हमारे पिता के नाम से दर्ज है इस कारण वादी को अब इस भूमि पर काश्त नहीं करने देगे तथा वादी ने हिस्सा पर भी हम मंगला के वारिस ही कब्जा करेगें।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी ने बड़ी मुश्किल से पडौसियों की मदद से प्रतिवादीगण को समझाइश कर रोका इसके बावजूद भी इन प्रतिवादीगण ने जाते जाते वादी को फिर से ऐलानियां धमकी दी की वो मौका पाते ही वादी के हिस्सा पर कब्जा करके रहेगें अथवा जमीन को किसी दीगर भू माफिया को बेचान करेगें जो प्रार्थी को लाठी की ताकत से बेदखल कर शीघ्र ही कब्जा करा लेगा। आ.खा.नं. 2711/0.61 है0 के हिस्सा 1/3 भाग का वादी खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। वादी का नाम मंगला पुत्र गोपाल के स्थान पर न्याय हित में वास्तविक तथ्यों के आधार पर दर्ज किये जाने योग्य है। वादी को अधिकार है कि आ.ख.नं. 2711/0.61 है0 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दुरूस्ती करावे इसी अनुसार हिस्सा 1/3 भाग के खातेदारी अधिकारों की अपने पक्ष में घोषणा करावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द करावे कि वे वादी के हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा/मजाहमत बेजा नहीं करे। भूमि मुतवादिया के सह खातेदार प्रतिवादी सं. 7 मुरली के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा है उसे कानूनी ऐतराज पूर्ति हेतु पक्षकार वाद बनाया गया है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 10.12.2020 को वादी की भूमि ख.नं. 2711/0.61 है0 का हिस्सा 1/3 भाग प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के मृतक पिता व पति मंगला के नाम दर्ज हो जाने के कारण वादी को कब्जे काश्त से बेदखल व बेचान करने की एलानियां धमकी देने से तथा वादी की भूमि ख. नं. 2711/0.61 है0 का हिस्सा 1/3 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में गलत व नाजायज रूप में इन्द्राज हो जाने से वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है। अन्त में वादी ने अपने वादपत्र में राजस्व रिकार्ड खातेदारी में दुरूस्ती किये जाने हेतु तथा प्रतिवादीगण के पिता मंगला का नाम हजफ करने स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया ।

वादी के द्वारा वादपत्र पेश होने पर विधिवत रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं0 1 हीरालाल दिनांक 18.2.21 को न्यायालय हाजा में उपस्थित आयें । प्रतिवादीगण उसके बाद बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये जबकि प्रतिवादीगण की विधिवत तामील भी कराई जा चुकी है। प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 12. 7.2021 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र पेश किया गया । विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर प्रदर्शित राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कराते हुए प्रतिवादी सं0 1लगा06 के पिता/पति का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईस्तदुआ की ।

हमने पत्रावली व वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया गया । प्रस्तुत प्रकरण में पाया गया कि विवादित आराजी ख0नं0 2711 रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तह. शाहपुरा जमाबन्दी सं0 2046 से 2049 के खाता सं0 180 में मंगला , मुरली पि0 गोपाल हि0 2/3 व भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती हि0 1/3 जाति जाट के नाम खातेदारी में दर्ज थी । दिनांक 21.2.1995 को खातेदार मंगला पुत्र गोपाल के द्वारा अपनी पत्नि केसरी पत्नि मंगला जाट के पक्ष अपने 1/3 हिस्से को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बेचान किया गया तथा जिसका नामान्तकरण सं0 312 भरा जाकर केता के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत हुआ । उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी सं0 2050 से 2053 में अमल दरामद होकर केता के नाम खातेदारी भूमि दर्ज का अंकन भी किया गया, लेकिन जमाबन्दी सं0 2054 से 2057 में केता केसरी पत्नि मंगला का नाम के साथ साथ विकेता मंगला पुत्र गोपाल का नाम दर्ज कर दिया तथा वादी भगवाना भागीरथ पि0 प्रभाती हि0 1/3 का नाम सहवन से हटा दिया गया जो आदिनांक लगातार वर्तमान जमाबन्दी में चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगा0 6 के पिता/पति के नाम के बजाय वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना सिद्व होता है। वर्तमान जमाबन्द सं0 2074 से 2077 के खाता सं0 42 में वादी का नाम दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादी सं01 लगा0 6 के पिता/ पति मंगला के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज है जबकि मंगला के द्वारा दिनांक 21.2.1995 को अपने 1/3 हिस्से की भूमि का बेचान करने पर केसरी पत्नि मंगला के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है, तथा मंगल का नाम भूमि से पृथक नहीं होकर वादी का नाम उक्त विवादित आराजी से पृथक कर दिया गया । इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में वादीगण का नाम सहवन से हटाया जाना सिद्व होता है।वकील वादी ने भी अपनी बहस में उक्त वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर वादपत्र डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी के हक में डिकी किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2711 रकबा 0.61 है0, वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के पिता/पति मंगला पुत्र गोपाल हि0 1/3 जाति जाट का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती हि. 1/3 जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 27-9-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 02/2021

उनवान

भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती जाति जाट नि. हनुतपुरा उर्फ रूडी, प0ह0 खोरालाड़खानी तह.शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) वादी

बनाम

1. हीरालाल
2. मोहन
3. रामकरण
4. रामस्वरूप
5. श्रवणलाल

} पि0 मंगला पुत्र गोपाल

6. केसरी देवी पत्नि मंगला
7. मुरली पुत्र गोपाल

समस्त जाति जाट नि. हनुतपुंरा उर्फ रूडी, प0ह0 खोरालाड़खानी तह.शाहपुरा, जयपुर।

8. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6 उप पंजीयक शाहपुरा/उपतहसील मनोहरपुर तह शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2711 रकबा 0.61 है0, वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के पिता/पति मंगला पुत्र गोपाल हि0 1/3 जाति जाट का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी भगवाना भागीरथ पुत्र प्रभाती हि. 1/3 जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-9-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	